"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 सितम्बर 2010—आश्विन 3, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक 5063/5036/2009/अठारह.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

नियम 12 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(घ) स्वास्थ्य अधिकारी के लिए - 62 वर्ष"
(एम. बी. बी. एस., बी. ए. एम. एस. एवं चिकित्सीय कार्य में संलग्न)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप- सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्रमांक 5063/5036/18/2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना 5063/5036/18/2009 दिनांक 24-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप- सचिव.

Raipur, the 24th September 2010

NOTIFICATION

No. 5063/5036/2009/18.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (1) of Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Conditions of Service of Officers and Servants) Rules, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said rules :-

After clause (c) of Rule 12, the following clause shall be inserted, namely :-

"(d) For Health Officers (M.B.B.S., B. A. M. S. and attached with medical profession) - 62 years"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.